Seventeenth Loksabha

span>

12.10¼ hrs

-

Title: Presentation of 35th,36th,37th,38th,39th,40th and 41st Reports of the Committee on Petitions.

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती) : महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए श्री तोकेही येपथोमी के अभ्यावेदन के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों, विशेष रूप से मेघालय स्थित बीमा कंपनियों के कार्यकरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री आर. मराक के अभ्यावेदन के संबंध में 36वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक, विशेष रूप से गुवाहाटी स्थित बैंकों की ऋण योजनाओं के बारे में ग्राहकों की अवधारणा और प्रभावकारिता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फानी धर दास के अभ्यावेदन के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभों को प्रदान करने के अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यावरणीय विधियों के अनुपालन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेषज्ञ कार्मिकों को नियोजित करने की आवश्यकता के बारे में श्री विक्रम के अभ्यावेदन के संबंध में 39वां प्रतिवेदन।

(6) मुंबई में इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के एटीएम में बढ़ती धोखाधड़ी-एटीएम लेन-देन के लिए प्रभावी रणनीति को पुन: बनाने की तत्काल आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री अभिषेक के अभ्यावेदन के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(7) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) में प्रस्तावित संशोधनों और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के बारे में सर्वश्री रजनीकांत पी. पटेल और सुधीर साबले तथा श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन के संबंध में 41वां प्रतिवेदन।